न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 372/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/527

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीकिशन पुत्र भींयाराम जाति माली निवासी मालियो की उगुणी बास पीपाड शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1. अमरचन्द पुत्र घेंवरराम जाति माली मालियो की उगुणी बास पीपाड़ शहर 2. प्रबंधक, यूको बैंक शाखा पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 3. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

दर्ज दिनांक 26/12/2024

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह–प्रार्थी की ओर से

श्री निर्मल कटारिया अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 15/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2461 (चौबीसो इकसठ) क्षेत्रफल 0.7766 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आयी हुई है जो वादग्रस्त आराजी है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति पेश की। उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नम्बर 2462 क्षेत्रफल 2.1439 हेक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के बीच में पुरानी माँठ कायम की हुई है। मॉठ के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या एक काबिज होकर काश्त कर रहा है व माँठ के पश्चिमी तरफ प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है। अप्रार्थी संख्या एक व प्रार्थी के बीच में स्थित माँठ पुरानी होने से मौके पर खुर्द–बुर्द हो गई है प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाकर वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पक्की दीवार बनाना चाहता है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगा। प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2461 क्षेत्रफल 0.7766 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करवाई जाकर सीमा कायम करके पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता निर्मल कटारिया ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि मूल खसरा नबंर 2459 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नबंर 2461 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नबर 2462 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा 03 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के मूल खातेदार रूपाराम पुत्र जीताराम कौम माली थें जिनके स्वर्गवास बाद उक्त भूमि में रूपाराम के फौतदगी नामान्तकरण संख्या 1177 के जरिये उनके

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

पुत्रान् घेवरराम व भीयाराम के नाम अमलदरामद हुई। इस प्रकार उक्त फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद से ही उक्त खसरान की भूमियाँ पर 1/2 हिस्सें पर घेवरराम व 1/2 हिस्से पर भीयारामजी का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा भीयाराम के स्वर्गवास बाद उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर नरसिंहराम, प्यारेलाल, श्रीकिशन व शंकरलाल के विधिक वारिशान का कब्जा काश्त व घेवरराम के स्वर्गवास बाद उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी अमरचंद का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। मूल खसरान की भूमियों वर्तमान में खसरा नबंर 2462 क्षेत्रफल 2.1439 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी अमरंचद के नाम, खसरा नबंर 2461 क्षेत्रफल 0.7766 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय प्रार्थी श्रीकिशन के नाम, खसरा नबंर 2461/1 क्षेत्रफल 0.7766 हेक्टेयर नरसिंहराम के नाम, खसरा नबंर 2459/1 क्षेत्रफल 0.9384 हेक्टेयर की भूमि प्यारेलाल के नाम, खसरा नबंर 2459 क्षेत्रफल 0.9483 हेक्टेयर की भूमि शंकरलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज हो गयी लेकिन वास्तविकता में मौके पर अप्रार्थी अमरचंद का कुल 17 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है व नरसिंहराम, प्यारेलाल, श्रीकिशन व शंकरलाल जो भीयारामजी के विधिक वारिशान है उनका 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1177 के अनुसार कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या एक ने समस्त राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो अप्रार्थी को पता चला कि एक बंटवाड़ा दिनांक 29.09.1983 को स्वीकृत किया हुआ है जिसमें घेवरराम के हक में खसरा नबंर 2462 में से 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि व भीयाराम के हक में 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि बंट में रखी गई जो बंटवाड़ा नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से शुरू से ही प्रभावशून्य है जो अप्रार्थी संख्या एक के हक व अधिकारों को किसी तरह से प्रभावित नही करता है क्योकि पद संख्या दों में वर्णित खसरान की समस्त भूमियों का फौतेदगी नामान्तकरण के जरिये 1/2 हिस्सा घेवरराम व 1/2 हिस्सा भीयाराम का इन्द्राज किया गया तो बटवाड़ा अप्रार्थी संख्या एक के पिता घेवरचंद के हक में उनके कब्जे काश्त अनुसार 17 बीघा 05 बिस्वा का स्वीकृत किया जाना चाहिए था उक्त बंटवाड़ें की जानकारी अप्रार्थी संख्या एक के पिता घेवरराम को व अप्रार्थी संख्या एक को कभी नहीं रही तथा न ही घेवरराम ने अपने जीवनकाल मे व अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त भूमियों का बंटवाडा निष्पादित किया है। उक्त बंटवाडा फर्जी होने से शून्य घोषित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त बंटवाडें को न्यायालय अपर जिला कलक्टर तृतीय के न्यायालय में चुनौती दे रखी है जिसकी अपील संख्या 28/2025 है जो विचाराधीन चल रही है। अप्रार्थी संख्या एक कों जब राजस्व रेकर्ड की जानकारी हुई तथा अप्राथर्थी संख्या एक का कुल 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या एक के नाम मात्र 2.1439 हेक्टेयर भूमि ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या एक श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर रखा है जो दिनांक 24.09.2025 को निर्णित किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन चल रही है जिसके प्रार्थनापत्र संख्या 268/2025 है जिसमें स्थगन आदेश पारित हो रखा है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थनापत्र के जरिये पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी व वाद बाहुल्यता बढेगी। वर्तमान में हुए सर्वे के कारण वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नबंर 2857 क्षेत्रफल 2.0827 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नंबर 2858 क्षेत्रफल 0.1104 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नबंर 2861 क्षेत्रफल 0.6661 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नबंर 2863 क्षेत्रफल 0.9322 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नबंर 2859 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नबंर 2860 क्षेत्रफल 0.7326 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नबंर 2877 क्षेत्रफल 0.9295 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि पर दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नबंर 2461 क्षेत्रफल 0.7766 हेक्टेयर भूमि बताया है जबकि वास्तविकता मे प्रार्थी का 0.7766 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नही है मात्र गलत बंटवाडें के आधार पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नबंर 2461 कुल क्षेत्रफल 0.7766 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड के आधार पर बताया है जो गलत बंटवाडा जैर अपील हैं। प्रार्थी सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.7766 हेक्टेयर भूमि पर काबिज नही है चूंकि अप्रार्थी संख्या एक का राजस्व रेकर्ड में रकबा कम अंकित हो रखा है लेकिन मौके पर अप्रार्थी संख्या एक का कुल 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर कब्जा है इसी कब्जें को नाजायज रूप से पत्थरगढी की आड़ में प्रार्थी हडप करना चाहता है

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

किन जैसे ही अप्रार्थी संख्या एक को राजस्व रेकर्ड की जानकारी हुई अप्रार्थी संख्या एक द्वारा
ाननीय न्यायालय हाजा के समक्ष घोषणा का दावा प्रस्तुत कर रखा है जो राजस्व अपील
धिकरण जोधपुर के यहां जैर अपील है। इस प्रकार प्रार्थी गलत राजस्व रेकर्ड की आड़ में
प्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी कब्जा जोर जबरदस्ती रूप से हडप करना चाहता है जबकि
ानूनन कब्जे प्राप्ति के दावे के अभाव में मात्र पत्थरगढी की आड़ में प्रार्थी कतई अपाथी संख्या
क से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी खच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के
मक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या एक की मौके पर पक्की तारबंदी की हुई है तथा
कमरा निर्माण भी किया हुआ है व मौके पर घोरे कायम किये हुए है। जब तक बटवाडा दिनांक
9.02 1983 के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर के यहां अपील संख्या 28/2025
था माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 268/2025 का मैरिट
के आधार पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही
तथा न ही प्रार्थी किसी प्रकार की कोई पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का
धिकारी है। माननीय न्यायालय को मूल खसरा नबंर 2459, 2461 2462 के सबंध में घोषणा
ातेदारी का व बंटवाडा दिनांक 09.02.1983 के प्रार्थनापत्र अपर न्यायालय में विचाराधीन चल
हे है तो उक्त प्रार्थनापत्र को न्यायालय हाजा द्वारा सुनने का कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार
नही है। जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्नम निवेदन है कि
ार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 बाद समन तामिल
स्वय/प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार
पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या
2461 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2859 व 2860 है, का सीमांकन कर पत्थरगडी की जाती है
तो कोई आपत्ति नहीं है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पेश प्रारम्भिक आपत्तियो के संबंध में वकील प्रार्थी ने जवाब पेश किया तथा हमने वकुलाय की मूल बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 2461 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2859 व 2860 है, के सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खाजिर फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 2461 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2859 व 2860 है, का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर
15/04/2026

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक ..... को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर